13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट–आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तो के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तो का ब्यौरा दिया जावे।	सामान्य वन मण्डल रायसेन में वन परिक्षेत्र गढ़ी के अंतर्गत संभागीय प्रवंधक एम.पी.आर.डी.री भोपाल द्वारा **गढ़ी–अहमदपुर** मार्ग निर्माण से सुदुर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों मे आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा आवेदक विभाग द्वारा सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक आरएफ–36 में रकबा 1.900 हे0, आरएफ–38 में रकबा 0.520 हे0, आरएफ–37 में रकबा 0.700 हे0, आरएफ–35 में रकबा 1.820 हे0, आरएफ–48 में रकबा 1.010 हे0, पीएफ–98वी में रकबा 0.100 हे0, पीएफ–987 में रकबा 0.880 हे0, कुल रकबा 6.930 हेक्टेयर चयनित क्षेत्र मे ही उपरोक्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है ऐसी स्थिति मे प्रस्तावित स्थल के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। अतः आवेदक विभाग को **कुल 6.930 हेक्टेयर** वनभूमि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य हेतु उपयोग पर दिये जाने की इस कार्यालय द्वारा **अनुशंसा** की जाती है।

तिथि : 05/06/2023
स्थान : रायसेन

हस्ताक्षर
नाम– विजय कुमार
(भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल रायसेन

Scanned with CamScanner